कार्यालय: प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची

वन भवन, डोरण्डा, रांची–834002, Phone-0651-2481909 (O) / 2480413 (F), e-mail-pccfjharkhand@yahoo.co.in

पत्रांक: स्था०व्य० / वि०प्र०–01(2016–19) – 1939 **दिनांक:** 29.5.18

प्रेषक:

संजय कुमार, भा०व०से०,
प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
झारखंड, रांची।

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य प्राणी एवं
मुख्य वन्य प्राणी प्रतिपालक, झारखंड, रांची।

विषय: **वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018–19 में स्थापना व्यय (विस्तृत), मांग संख्या–19, मुख्य शीर्ष–2406–वानिकी तथा वन्य प्राणी के अधीन "01– निदेशन एवं प्रशासन", उपशीर्ष में राशि के आवंटन के संबंध में।**

प्रसंग:– योजना–सह–वित्त विभाग (वित्त प्रभाग) झारखंड सरकार, रांची का पत्रांक **29 / बी०टी०ई०–10 / 2017–18 / 77 / बजट, दिनांक 21.02.2018।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र से राशि व्यय करने की प्राप्त अनुमति के आलोक में **"01– निदेशन एवं प्रशासन", उपशीर्ष के 29–व्यवसायिक सेवायें** इकाई में 5.00 लाख रू0 (पांच लाख रू0) की आवंटन दी जाती है।

1. यह आवंटन योजना–सह–वित्त विभाग (वित्त प्रभाग) झारखंड सरकार रांची के पत्रांक–29 / बी०टी०ई०–10 / 2017–18 / 77 / बजट रांची, दिनांक 21.02.2018 तथा बिहार सरकार, वित्त विभागीय ज्ञाप संख्या– एम0–4–05 / 98 2561 / वि0 (2) दिनांक 17.04.1998 के आलोक में किया जाता है।

2. रोकड प्रवाह (कैश फ्लो) के संबंध में वित्त विभागीय पत्रांक वित्त 4–23 / 2003 / 1800 दिनांक 15.07.2003 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

3. आवटन पत्र में अंकित विपत्र कोड के अनुसार ही लेखा संधारण किया जाय।

4. यह आवंटन इस कार्यालय के पत्रांक 847 दिनांक 28.02.2018 द्वारा पलामू व्याघ्र योजना में निवास कार्यो के सहसामयिक अनुश्रवण के लिए दिए गए 5.00 लाख रू0 के आवंटन तथा पत्रांक 560 दिनांक 07.02.2018 के द्वारा दिए गए 7.00 लाख रू0 का आवंटन (जिनमें से 2.00 लाख रू0 वन भूमि अभिलेख संधारण के लिए तथा 5.00 लाख रू0 पलामू व्याघ्र परियोजना में विकास कार्यों के अनुश्रवण एवं मूल्यांकन के लिए था) जिसकी विस्तृत कार्य विवरणी इस कार्यालय के पत्रांक 401 दिनांक 29.01.2018 एवम् स्मार पत्रांक 688 दिनांक 20.02.2018 में दी जा चुकी थी, के क्रम में दी जा रही है। वर्तमान आवंटित राशि से पलामू व्याघ्र योजना क्षेत्र में कराए जा रहे विकास कार्यों का इस वर्ष (2018–19) में स्वतंत्र सहसामयिक अनुश्रवण (Concurrent monitoring) कराया जाय। साथ ही वर्ष 2017–18 में कराए गए स्वतंत्र अनुश्रवण प्रतिवेदन शीघ्रताशीघ्र समर्पित किया जाय। विदित होगा कि रिट याचिका सं0 3503 / 2014 विकास महतो बनाम राज्य सरकार एवम् अन्य में इस स्वतंत्र मूल्यांकन प्रतिवेदन के आधार पर भविष्य में यथाआवश्यकता प्रतिशपथ पत्र दायर करना समीचीन होगा।

आवंटन आदेश पत्र संख्या–BWLDA/01-18-19/46B की मूल प्रति अत्र–816–संलग्न है।

अनु0--यथो0:

विश्वासभाजन,

२९/५/१८

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
झारखंड, राँची।

२९/५/१८

आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

Forest, Environment and Climate Change Department

राज्य वित्तीय वर्ष 2018-19 में व्यय हेतु निम्नांकित विवरण एवं बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।

पत्र संख्या - BWLDA/01-18-19/465 दिनांक - 29-May-2

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस न	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 240601001010329 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 001 - निदेशन तथा प्रशासन 01 - निदेशन एवं प्रशासन 03 - प्रशासनिक व्यय 29 - व्यावसायिक सेवा **Establishment Expenditure** State Scheme NA Central Scheme NA	29441	DRNFWL076 LAL RATNAKAR SINGH,I.F.S. PCCF WILD LIFE & WL.WARDEN JHA	500,000.00 रुपये पाँच लाख

योग 500,000.00

कुल योग: रुपये पाँच लाख

(SANJAY KUMAR)
Principal Chief Conservator of Forest
PCCF, JHARKHAND, RANCHI
Jharkhand, Ranchi

 Run Date: 29/5/2018